

G.L.M.S/2025/76

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

श्रवणलाल बनाम रघुवीर सिंह वगै०

मुकदमा नम्बर :- 31/2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10.03.2025	<p>प्रार्थी की ओर से प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 के तहत पेश हुआ। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 24.03.2025 को पेश हो।</p> <p>24/3/25 व. प्रार्थी (अप. 1) पत्रावली अन्तर्गत तलबी के सुनार आगामी दिनांक 24/4/25 को पेश हो</p> <p>24/4/25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय के समक्ष समस्त दस्तावेज वकील प्रार्थी के द्वारा-वर-अवापन जिलाधी गयी। वकील प्रार्थी अवापन व वकालत अन्तर्गत के अतः पत्रावली अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट में खारिज की जाती है। पत्रावली दर्ज नईकर से करके वे तथा कालिल उपलब्ध हो</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (ज. 2025)</p>	